न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 07 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. स्व.रामूराम पुत्र पहाड़ाराम का.मु. 1/1नाथूराम पुत्र रामूराम 1/2श्रीमती गंगा पत्नी स्व. रामूराम जाति मेघवाल(चमार) निवासीयान गोविन्दसिंहपुरा, छायण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर हाल निवासीयान टेकरा तहसील फलौदी जिला जोधपुर 1/3श्रीमती जीयो पत्नी श्री हरिराम जाति मेघवाल (पुत्री स्व. श्री रामूराम) निवासी उग्रास तहसील फलौदी जिला जोधपुर 1/4श्रीमती दीनी पत्नी श्री भागीराम जाति मेघवाल (पुत्री स्व. श्री रामूराम) निवासी सिहड़ा तहसील फलोदी जिला जोधपुर 2. खेताराम पुत्र श्री मनजीराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी गोविन्दसिंहपुरा, छायण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर हाल निवासीयान टेकरा तहसील फलौदी जिला जोधपुर	1. रतनाराम पुत्र श्री बीजलराम 2. आशाराम पुत्र श्री रतनाराम 3. जगदीश पुत्र श्री रतनाराम 4. रूगनाथ पुत्र श्री रतनाराम सर्व जातियान मेघवाल निवासीयान उग्रास तहसील फलोदी जिा जोधपुर राजस्थान 5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रामेदवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर राजस्थान

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर, पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2011 बउनवान रतनाराम वगरह बनाम राजूराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुमित बिस्सा अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—12.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा छायण वर्तमान राजस्व ग्राम गोविन्दसिंहपुरा में खसरा संख्या 176 रकबा 225.19 बीघा भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 04 वादीगण ने अपीलार्थी संख्या 01 रामूराम से जरिये रजिस्टर्ड बिकावनामा दिनांक 06.03.1997 खरीद की थी, लेकिन पटवारी हल्का ने

नवनीत कुमार
राजस्व अपील प्रा
बाड़मेर

उसके नाम नामांतकरण दर्ज नहीं किया। इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ नयायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटगण पर उपरोक्त स्थिति में विधिवत रूप से तामिली नहीं हुई है, जिस वजह से अपीलांट को न तो जवावदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और न ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था किन्तु नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया। वादीगण द्वारा जो विक्रय–पत्र पेश किया गया। वह फर्जी व बनावटी हैं। उक्त विक्रय–पत्र को सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली की नकलें दिनांक 31.08.2015 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 31.08.2015 को प्राप्त की, तब वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जबावदावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। जिस विक्रय–पत्र को आधार बनाकर मूल वाद पेश किया गया उक्त विक्रय–पत्र को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2011 बउनवान रतनाराम वगैरह बनाम राजूराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशन को ध्यान में रखते हुए अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

12/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर